TEN RUPEES ONE RUPEE

न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. मोतीमहल म.प्र.

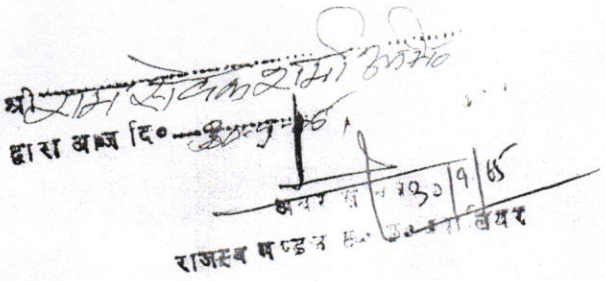

प्रकरण क्रमांक / R 1645-II/05

श्री राम सेवक शर्मा अभि० द्वारा आज दि० ... 30/9/05 राजस्व मण्डल ...

30 SEP 2005

1. भगवतीचरण
2. शुम्भूदयाल — पुत्रगण रामस्वरूप
3. मायादेवी वेवा मथुरा प्रसाद
4. संजय पुत्र श्रीकृष्ण

समस्त जाति ब्रा. निवासी ग्राम

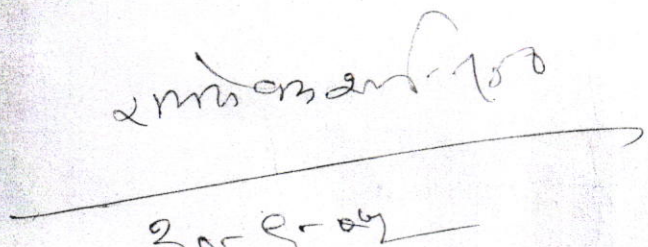

कदौरा परगना अटेर जिला, भिण्ड (म.प्र.)

......आवेदकगण

बनाम्

1. रामजीलाल
2. कैलाश नारायण — पुत्रगण चेतराम
3. देवेन्द्र
4. रामप्रदसाद पुत्र परसराम

समस्त ब्रा. निवासी ग्राम कदौरा

परगना अटेर जिला, भिण्ड (म.प्र.)

........असल अनावेदकगण

5. रामलाल पुत्र पातीराम
6. दिवारीलाल
7. विनोद — पुत्रगण लोचन प्रसाद

समस्त जाति ब्रा. निवासी ग्राम

कदौरा परगना व जिला भिण्ड (म.प्र.)

30-9-05

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.स. 1959 विरूद्व आदेश दिनांक

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 1645 –दो/2005 निगरानी जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार अभि.के हस्ता
19.1.16	पूर्व पेशी पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने जा चुके हैं। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 176/2004–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 2–9–2005 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 2–9–2005 के अवलोकन पर पाया गया कि उनके समक्ष अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के प्रकरण कमांक 34/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 25–10–2004 के विरूद्ध दिनांक 12–8–2005 को अर्थात लगभग 08 माह वाद अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसे अवधिवाह्य मानकर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 2–9–05 से निरस्त किया है। विचार योग्य है कि अपर आयुक्त व्दारा अपील अवधि–वाह्य मानकर निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि की है अथवा नहीं ? अपर आयुक्त के प्रकरण कमांक 176/2004–05 अपील के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने आदेश दिनांक 2–9–05 में विवेचना कर निष्कर्ष निकाला है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक के अभिभाषक ने अंतिम बहस की एंव आदेश हेतु दिनांक 23–10–04	

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 1645 –दो / 2005 निगरानी जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभि.के हस्ता
	की तिथि एंव उसके वाद 25-10-04 तिथि नोट की है तथा अनुविभागीय अधिकारी अटेर ने दिनांक 25-10-04 को अंतिम आदेश पारित किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आदेश दिनांक 25-10-04 को पारित होगा – जानकारी आवेदक के अभिभाषक को रही है। इसके वाद दिनांक 5-8-05 को अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की जानकारी मिलना बताया जाना बेबुनियाद एंव निराधार है। भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 47 – अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोद्‌भूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 176/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 2-9-2005 उचित है। 3/ उपरोक्त कारणों से अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 176/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 2-9-2005 उचित पाये जाने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है। सदस्य	